बिहार विधान सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में बृहस्पतिवार तिथि २४ फरवरी, १९५५ को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

तारांकित प्रश्नोत्तर।

Starred Questions and Answers.

बिहार राज्य चतुर्थवर्गीय सरकारी कर्मचारी संघ के कार्यकर्त्ताओं के बीच असंतोष

*१३। श्री कर्पूरी ठाकुर—क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि बिहार चतुर्थवर्गीय सरकारी कर्मचारी संघ कार्यकर्त्ताओं को युनियन का काम करने के कारण तंग किया जाता है;

(ख) क्या यह बात सही है कि संघ, संगठन या युनियन बनाना कर्मचारियों का वैधानिक और कानूनी अधिकार है;

(ग) क्या यह बात सही है कि तंग किये जाने और सताये जाने के चलते उनमें व्यापक असंतोष फैलता जा रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो इस धांधली को बन्द करने के लिये सरकार क्या करना चाहती है?

श्री बीरचन्द पटेल—(क) उत्तर नकारात्मक है।

(ख) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ग) खंड (क) के उत्तर के समक्ष यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री कर्पूरी ठाकुर—क्या यह बात सही है कि युनियन के जो प्रमुख कार्यकर्ता होते हैं उनको किसी न किसी कारण ससपेंड कर दिया जाता है, उनका प्रोमोशन रोक दिया जाता है या जो अस्थायी कर्मचारी होते हैं उनको बहुत दिनों तक स्थायी नहीं किया जाता है?

श्री बीरचन्द पटेल—मैंने कहा कि उत्तर नकारात्मक है। ऐसा नहीं हो सकता है और सरकार इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती है।

श्री कर्पूरी ठाकुर—क्या यह बात सही है कि युनियन के कार्यकर्ता जो पूसा के हैं उन्हें दूसरे बहाने से ससपेंड किया गया है लेकिन असल में इसीलिए हाल ही में ससपेंड किया गया है चूंकि वे युनियन के मंत्री हैं?

श्री बीरचन्द पटेल—इसका जवाब तो मैं यही दूंगा कि उन्हें सही कारण पर ससपेंड किया गया है लेकिन उनकी तरफ से यह बहाना निकाला गया है कि वे युनियन के मेम्बर होने की वजह से ससपेंड किये गये हैं। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि युनियन में काम करने के लिए किसी को तंग किया जाय तो उनके साथ सरकार

वैकुंठपुर की जनता द्वारा मुखिया के विरुद्ध सामूहिक प्रार्थना-पत्र।

*३९०। श्री वशिष्ठ नारायण सिंह—क्या मंत्री, ग्राम पंचायत विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि १५ दिसम्बर, १९५४ से ८ जनवरी, १९५५ के बीच कृष्णपुर बैकुंठ, थाना वारिसनगर, की जनता ने कोई सामूहिक प्रार्थना-पत्र स्थानीय ग्राम पंचायत राज्य के मुखिया के खिलाफ जिलाधीश, दरभंगा को दिया था;

(ख) यदि खंड (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो मुखिया पर क्या अभियोग था;

(ग) क्या सरकार ने उस प्रार्थना-पत्र पर अब तक कोई कार्रवाई की है, यदि हां, तो क्या?

श्री भोला पासवान—(क) उत्तर स्वीकारात्मक है। आवेदन-पत्र ५ जनवरी, १९५५ को हस्तगत हुआ।

(ख) (१) गल्ले के बटवारे में गड़बड़ी;

(२) बधजोरा बांध के जलकर की बन्दोबस्ती में गड़बड़ी;

(३) विकास योजना में ठीकेदार द्वारा कार्य संपादन में गड़बड़ी।

(ग) अभी आवश्यक जांच-पड़ताल की जा रही है।

श्री वशिष्ठ नारायण सिंह—इस जांच-पड़ताल की रिपोर्ट कब तक मिलेगी?

श्री भोला पासवान—यह इस वक्त नहीं कहा जा सकता है।

FORMATION OF GRAM PANCHAYATS IN THE STATE.

*392. **Shri JAMUNA PRASAD SINGH :** Will the Minister, in charge of Gram Panchayat Department, be pleased to state—

(*a*) how many Gram Panchayats are to be formed in the State;

(*b*) how many of them have been formed out of it;

(*c*) how long it would take to form the rest, so as to cover the whole State of Bihar?

Shri BHOLA PASWAN : (*a*) 14,000 approximately.

(*b*) 6,213.

(*c*) No time-limit can be fixed. However, there is a plan to cover the entire area of the State with a net work of Panchayats by October, 1960.